न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 22/2008

प्रार्थी :–

1. श्रीमती सुख कंवर पत्नि श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी प्रजापत कॉलोनी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. दिनेश कुमार सुराणा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत भावरी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 24.05.2008 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से रिकार्ड भेजा गया।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत विधि विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 24.05.2008 पारित कर प्रार्थीगण को अतुल्यनीय क्षति पहुंचाई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने सरूपगंज स्थित कृषि भूमि को आबादी भूमि में संपरिवर्तन उपरान्त श्री धर्माराम सुथार द्वारा काटे गए भूखण्ड में से भूखण्ड क्रय किया, जिसका क्षेत्रफल 1215 वर्गफीट है। बेचानकर्ता द्वारा आवागमन हेतु उत्तर दिशा की तरफ 30 फीट चौडा रास्ता छोडा गया था, जो प्रार्थी के घर पर जाकर बन्द हो जाता है। उक्त रास्ते की भूमि के पश्चिम दिशा में कान्ता कुंवर एवं मीनाक्षी माली के अवैध मकान बने हुए जिनका रास्ता पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। प्रार्थी के मकान के आगे स्थित रास्ता की ओर श्रीमती कान्ता कुंवर एवं श्रीमती मीनाक्षी माली के मकानों की पूठ है। जिनको उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी रास्ते के अन्तिम छोर पर बनी दीवार को सुरक्षा की लिहाज से ऊँचा करना चाहती है लेकिन [illegible] पंचायत भावरी द्वारा स्वीकृति नहीं देने से प्रार्थी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत अपील स्थापन एवं प्रशासन समिति को की गई। स्थापन एवं प्रशासन समिति द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं निर्णय पारित [illegible] से नियम [illegible] स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करे। [illegible] सुखकुंवर कर सकेगी [illegible] यथावत बन्द रहेगी। गली पर मालिकाना हक किसी का नहीं होगा। किन्तु ग्राम पंचायत भावरी द्वारा उक्त समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 24.05.2008 को पारित किया गया जो नियम विरूद्ध है। ग्राम पंचायत को अपीलीय निर्णय के विरूद्ध किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रकार का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 24.05.2008 को निरस्त करना फरमावें।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी की ओर से भेजे गए रिकार्ड एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 24.05.2008 पारित किया है। प्रार्थी ने सरूपगंज स्थित कृषि भूमि को आबादी भूमि में संपरिवर्तन उपरान्त श्री धर्माराम सुथार द्वारा काटे गए भूखण्ड में से भूखण्ड क्रय किया, जिसका क्षेत्रफल 1215 वर्गफीट है। बेचानकर्ता द्वारा आवागमन हेतु उत्तर दिशा की तरफ 30 फीट चौडा रास्ता छोडा गया था, जो प्रार्थी के घर पर जाकर बन्द हो जाता है। उक्त रास्ते की भूमि के पश्चिम दिशा में कान्ता कुंवर एवं मीनाक्षी माली के अवैध मकान बने हुए जिनका रास्ता पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। प्रार्थी के मकान के आगे स्थित रास्ता की ओर श्रीमती कान्ता कुंवर एवं श्रीमती मीनाक्षी माली के मकानों की पूठ है। जिनको उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी रास्ते के अन्तिम छोर पर बनी दीवार को सुरक्षा की लिहाज से ऊँचा करना चाहती है लेकिन ग्राम पंचायत भावरी द्वारा स्वीकृति नहीं देने से प्रार्थी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत अपील स्थापन एवं प्रशासन समिति को की गई। स्थापन एवं प्रशासन समिति द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत भावरी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करे। गली का उपयोग श्रीमती सुखकुंवर कर सकेगी एवं गली यथावत बन्द रहेगी। गली पर मालिकाना हक किसी का नहीं होगा। ग्राम पंचायत भावरी द्वारा इस अपीलीय निर्णय के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 24.05.2008 को पारित किया है।

अगर यह भूमि निजी खसरा संख्या को कृषि भूमि से आबादी भूमि में संपरिवर्तित कराया है एवं उस पर प्लॉट निकालकर रास्ता छोडा गया है, जिसे प्रार्थी उपयोग में ले रहे है। पत्रावली पर कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह रास्ता आम रास्ता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा ने अपने आदेश क्रमांक 1532–34 दिनांक 24.03.2008 में यह माना है कि यह रास्ता श्रीमती सुखकुंवर व श्री प्रकाश वगैराह के उपयोग के लिए है। श्रीमती कान्ता कुंवर एवं श्री मीनाक्षी माली के मकानों का रास्ता पश्चिम दिशा में है और यह दोनों तरफ रास्ता लेकर दोहरा लाभ लेना चाहते है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा ने यह दोहरा लाभ देने से इन्कार किया है। अतः यह न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1532–34 दिनांक 24.03.2008 को उचित मानता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भावरी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 24.05.2008 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:08 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner